# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 68/2014 एल.आर.एक्ट

1. औंकारसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति बावरी निवासी 58 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

**अपीलान्ट**

.....

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर ।
2. करतार कौर पत्नी सोहनसिंह जाति बावरी निवासी 58 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।

.....**रेस्पोन्डेंट्स**

**उपस्थितः** 1– श्री सत्यपाल सहू अभिभाषक अपीलान्ट ।
2– श्री बालकिशन शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं02।

## निर्णय

दिनांक 16.12.19

1. यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक 22–3–2013, जिसके द्वारा रेस्पोन्डेंटसं0 2 के नाम से वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता व रस्पोन्डेंट सं02 के पति श्री सोहनसिंह पुत्र पंजाबसिंह बावरी के नाम चक 58 एफ तहसील करणपुर में कुल 7.600 हैक्टेयर भूमि खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । सोहनसिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी धर्मपत्नी करतारकौर के पक्ष में दिनांक 11.8.2011 को उक्त भूमि के सम्बन्ध में एक दस्तावेज वसीयतनामा लिखवा कर दिनांक 12.8.11 को नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दिया । खातेदार श्री सोहनसिंह का दिनांक 11.2.2013 को देहान्त हो जाने पर रेस्पोन्डेंट सं02 करतारकौर द्वारा तहसीलदार श्रीकरणपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज वसीयतनामा एवं मृत्युप्रमाण पत्रादि प्रस्तुत कर वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया । जिस पर दिनांक 16.3.13 के समाचार पत्र में आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति जारी करवाई गयी तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त की गयी । पटवारी हल्का ने रिपोर्ट में बताया कि उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ है, परन्तु ओंकारसिंह वल्द सोहनसिंह द्वारा विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, जिसकी रिपोर्ट की गयी है । दैनिक समाचार में विज्ञप्ति प्रकाशन उपरान्त न्यायालय तहसीलदार करणपुर के समक्ष कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आदेश दिनांक 22.3.2013 द्वारा वसीयत दिनांक 11.8.2011 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये । तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा पारित किये गये उक्त अपीलाधीन आदेश के विरुध्द इस न्यायालय में यह प्रथम अपील प्रस्तुत हुई है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. अभिभाषक अपीलान्ट का अपील में मुख्य रुप से कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेंट सं0 2 के द्वारा वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 13.3.2013 को प्रस्तत किया गया । जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट की गयी कि औंकारसिंह पुत्र सोहनसिंह द्वारा उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने हेतु तहसीलदार कार्यालय, श्रीकरणपुर में प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। किन्तु उक्त रिपोर्ट पर गौर किये बिना,अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एक तरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय वसीयत की समुचित रुप से जांच नहीं की गयी । अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.3.13 की जानकारी दिनांक 3.9.2013 को होने पर तहसील कार्यालय में जाकर दिनांक 13.9.13 को नकल प्राप्त की गयी एवं दिनांक 23.9.13 को अपील प्रस्तुत कर दी गयी । अतः जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु पत्रावली रिमाण्ड फरमाई जावे ।

4. अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं02 ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उप जिलाधीश, श्रीकरणपुर में वाद सं. 65/2013 अन्तर्गत धारा 88–91 आरटीए. अनवान ओंकारसिंह बनाम करतारकौर आदि दिनांक 26.4.13 को प्रस्तुत होकर विचाराधीन है । उक्त दावा यह अपील प्रस्तुत करने से पहले ही किया जा चुका है। अतः प्रकरण में दावे के अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही सम्पादित होगी । अपीलान्ट को दावा प्रस्तुत करने के समय अपीलाधीन आदेश की जानकारी थी। अतः मियाद बिन्दु पर भी अपील निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमायी जावे ।

5. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । पक्षकारों की बहस एवं प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार निम्न प्रकार तथ्य प्रकट होते हैं :–

I. अभिलेख अनुसार अपीलान्ट के पिता व रस्पोन्डेंट सं02 के पति श्री सोहनसिंह पुत्र पंजाबसिंह बावरी के नाम चक 58 एफ तहसील करणपुर में कुल 7.600 हैक्टेयर भूमि खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । सोहनसिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी धर्मपत्नी करतारकौर के पक्ष में दिनांक 11.8.2011 को उक्त भूमि के सम्बन्ध में एक दस्तावेज वसीयतनामा लिखवा कर दिनांक 12.8.11 को नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दिया । खातेदार श्री सोहनसिंह का दिनांक 11.2.2013 को देहान्त हो जाने पर रेस्पोन्डेंट सं02 करतारकौर द्वारा तहसीलदार श्रीकरणपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज वसीयतनामा एवं मृत्युप्रमाण पत्रादि प्रस्तुत कर वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सरसरी जांच के पश्चात तहसीलदार आदेश दिनांक 22.3.2013 द्वारा वसीयत दिनांक 11.8.2011 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये । तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा पारित किये गये उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.3.13 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है ।

II. अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन कि उसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.3.13 की जानकारी दिनांक 3.9.13 को हुई, तब नकल प्राप्त कर जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश की गयी । जबकि अपीलान्ट के द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 26.4.2013 को न्यायालय उप जिलाधीश, श्रीकरणपुर में वाद सं. 65/2013 अन्तर्गत धारा 88–91 आरटीए. अनवान ओंकारसिंह बनाम

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

करतारकौर आदि प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अपीलान्ट ने धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में सत्य एवम् विश्वसनीय तथ्य अंकित नहीं करवाये हैं । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में क्लीन हैण्ड से प्रस्तुत नहीं की गयी है ।

III. अभिभाषक रेस्पोन्डेंट द्वारा प्रस्तुत दावा की प्रति के अनुसार विवादित भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उप जिलाधीश, श्रीकरणपुर में राजस्व वाद सं. 65/2013 अन्तर्गत धारा 88–91 आरटीए. अनवान ओंकारसिंह बनाम करतारकौर आदि दिनांक 26.4.13 को प्रस्तुत होकर विचाराधीन है, जो उक्त अपील प्रस्तुत होने से पूर्व दिनांक 26.4.13 से विचाराधीन है ।

IV. माननीय राजस्व मण्डल द्वारा विभिन्न निर्णयों में प्रतिपादित किये गये सिध्दान्त के अनुसार विवादित भूमि के सम्बन्ध में जब नियमित वाद विचाराधीन है, तो नामान्तरकरण सम्बन्धी समरी कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिये । अतः उपरोक्त प्रतिपादित सिध्दान्त के अनुसार प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है । प्रकरण में राजस्व वाद के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पादित होगी ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी यह अपील न केवल मियाद बिन्दु अपित मैरिट पर भी चलने योग्य नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त करते हुए न्यायालय तहसीलदार राजस्व, करणपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.3.13 यथावत रखा जाता है ।

6. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.12.19 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर



Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.12.18 12:54:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: